(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1937–एक/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–8–2000 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 5/स्व0निगरानी/1999–2000

.....

नन्दराम पिता भैरवलाल
निवासी ग्राम राउ तहसील व जिला इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर
कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला इंदौर
2–जगदीश पिता भैरवलाल
निवासी ग्राम राउ तहसील व जिला इंदौर
3–प्रकाश गृह निर्माण सहाकारी संस्था मर्या.
तर्फे अध्यक्ष पता पनसीकर कॉलोनी इंदौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–8–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 67/अ–6/82–83 में पारित आदेश दिनांक 30–9–1983 से ग्राम राऊ तहसील इंदौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 737/2 रकबा 1.133 हेक्टेयर पर सतत् कब्जे के आधार पर आवेदक को मौरूसी कृषक मानते हुये उसके पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया । कलेक्टर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में गम्भीर अनियमितताएं पाते हुये प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 22–8–2000 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 30–9–1983 निरस्त किया गया और प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्ववत् अनावेदक कमांक 2 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों के आधार पर करने का अनुरोध किया गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को लगभी 17 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से स्वप्रेरणा की कार्यवाही की गई है, जबकि एक वर्ष पश्चात् भी ऐसी कार्यवाही करना अवधि बाधित है ।

(2) कलेक्टर न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 185(1), 168 के प्रावधानों को समझने में भूल की गई है क्योंकि संहिता की धारा 168 की उपधारा 2 में वर्णित है कि यदि किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर सतत् रूप से कब्जा बना रहता है तब उसे मोरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त होकर भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाते है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश था जिसके विरूद्ध अनावेदक कमांक 2 द्वारा कोई अपील नहीं की गई थी, अतः अपील योग्य आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि

तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत मौरूसी कृषक के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जबकि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से संहिता की धारा 190 की स्थिति को प्रमाणित नहीं किया गया है कि उन्हें मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अतः कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–8–2000 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर